फैक्टरियों में नाइट शफि्ट करने वाली महलिाओं की सुरक्षा होगी मज़बूत

चर्चा में क्यों?

7 जुलाई, 2023 को उत्तराखंड कैबनिेट बैठक में रात्रपिाली में कारखानों में काम करने वाली महलिा कर्मचारयिों के लयि सुरक्षा मज़बूत करने का नरि्णय लेते हुए श्रम वभिाग के प्रस्ताव को मंजूरी मलि गई।

प्रमुख बदिु

- वदिति है कि कारखाना अधनियिम 1948 में महलिा कार्मकिों को जो भी राहतें दी गई थीं, उसमें संशोधन करते हुए राहत और बढ़ाई गई है।
- अब कारखानों में रात्रपिाली में काम करने वाली महलिाकर्मयिों को घर लाने-ले जाने वाले वाहनों में पैनकि बटन, जीपीएस डवािइस, सीसीटीवी लगाना अनवािर्य होगा।
- इन वाहनों का संचालन करने वाली ड्राइवर-कंडक्टर का पुलसि से सत्यापन भी अनवािर्य कर दयिा गया है। ये भी स्पष्ट कयिा गया है कि रात्रपिाली में महलिाएँ केवल उसी कारखाने में काम कर सकेंगी, जहां कम से कम 20 महलिाकर्मी हों। इससे कम पर रात्रपिाली की अनुमत‍ि महलिाकर्मयिों के लयि नहीं होगी।
- नए नयिम लागू होने पर महलिाओं को घर से कारखाने में आवागमन आसान हो जाएगा।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/security-of-women-working-night-shifts-in-factories-to-be-strengthened